छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 30,1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम,2005(क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चन्द्रशेखर साहू, श्रम मंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार बालको चिमनी हादसे से संबंधित संदीप बख्शी न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 9 अगस्त,2012 तथा जांच आयोग के प्रतिवेदन पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे से चयनित छात्रों का नामांकन नहीं किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जिला गरियाबंद, विकासखंड मैनपुर में उल्टी-दस्त व मलेरिया से मौतें होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा में शांति पावर प्लांट के लिये कृषकों की भूमि का जबरन अधिग्रहण किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, रायपुर स्थित श्री रामचंद्र स्वामी मंदिर ट्रस्ट में व्याप्त अनियमितता की ओर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जिला जशपुर एवं महासमुंद में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव व चिकित्सा अमला की लापरवाही से मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जिला जशपुर के आस्ता पुलिस चौकी क्षेत्र की आदिवासी छात्रा का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, कबीरधाम जिले के अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था से मरीज की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला कबीरधाम में आई.ए.पी. योजनांतर्गत कार्यों में व्याप्त अनियमितता की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला कबीरधाम में शाला भवन निर्माण व संम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत् शौचालय निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमश: 2

(10) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला कबीरधाम में भूमिहीन कृषकों को वन अधिकार अधिनियम के तहत् पट्टा नहीं दिये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री देवजी पटेल, सदस्य, शिवनाथ नदी पर चक्रवाय एनीकट निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में व्याप्त अव्यवस्था की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में नक्सलियों द्वारा पीएलजीए सप्ताह मनाये जाने से जीवन अस्त-व्यस्त होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, कसडोल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रायोगिक भवन निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) डॉ. शिव कुमार डहरिया, सदस्य, जिला रायपुर विकासखंड तिल्दा, ग्राम पंचायत अड़सेना में सरपंच के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, जिला रायगढ़ में छात्राओं के साथ अनाचार की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, जिला रायगढ़ में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत स्कूलों में शौचालय निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) डॉ. शक्राजीत नायक,सदस्य,कृषि विभाग में भर्ती नियम विसंगतिपूर्ण होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) डॉ.शक्राजीत नायक,सदस्य,प्रदेश में गांजा-अफीम तस्करी में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, फूलचंद सिंह, सदस्य, जिला कोरिया में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की आदिवासी छात्रा के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कवर्धा द्वारा जनपद सदस्यों पर दबाव डाले जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला कबीरधाम के नगर पंचायत पंडरिया में सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा में वर्धा पावर प्लांट के लिये कृषकों की भूमि का जबरन अधिग्रहण किये जाने की ओर राजस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री देवजी पटेल, सदस्य, प्रदेश में अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट कंपनी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, राजधानी रायपुर में एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ तथा गरियाबंद जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में अनेक व्यक्ति की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य, धान उपार्जन केन्द्रों में व्याप्त अनियमितता की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री चैतराम साहू, सदस्य, जिला बलौदा बाजार-भाटापारा में गायों की मौतें होने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य, राजिम के समीप ग्राम बेलटुकरी मे पंचायत की अनुमति बिना सार्वजनिक भूमि को उद्योग स्थापना हेतु दी जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में धान संग्रहण समितियों द्वारा बिचौलियों के माध्यम से सीमावर्ती राज्यों का धान खरीदे जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य, जिला महासमुंद ग्राम सेनभांठा के मजदूरों को अन्य राज्यों में ले जाकर प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री राजकमल सिंघानिया,सदस्य,प्रदेश में अमानक खाद की बिक्री होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में शिक्षाकर्मियों की मौत होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य,मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पेण्ड्री से खोरसी मार्ग पर नाले पर पुल निर्माण करने,

(2) श्री रामदेव राम, सदस्य, विकासखंड अंबिकापुर अंतर्गत ग्राम सकालो में हाईस्कूल खोलने,

(3) श्री हृदयराम राठिया, सदस्य, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नूनदरहा से नवाडीह मार्ग पर नदी पर पुलिया निर्माण करने,

(4) श्री बोधराम कंवर, सदस्य, कटघोरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) कटघोरा में संचालित प्री-मैट्रिक कन्या आदिवासी छात्रावास में सीट की वृद्धि करने,

(ii) कटघोरा में संचालित बालक प्री-मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में सीट की वृद्धि करने,

(5) श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य, विकासखंड लोहण्डीगुड़ा अंतर्गत ग्राम रायगोंदी में संयुक्त आश्रम शाला खोलने,

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम लोलकी में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने तथा

(ii) ग्राम बसंतपुर में संचालित छात्रावास में सीट वृद्धि करने

(7) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, छुरिया विकासखंड अंतर्गत -

(i) ग्राम तेलिनबांधा से रानीपुरखड़खड़ी पहुंच मार्ग पर गोमहा नाले में पुलिया निर्माण करने,

(ii) छुरिया विकासखंड के किसानों को खातूटोला बैराज से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने तथा

(iii) ग्राम बेलरगोन्दी में उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम,सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, प्रस्ताव करेंगी कि :- ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरूकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

क्रमशः 4

(2) श्री बद्रीधर दीवान,सभापति,सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति,प्रस्ताव करेंगे कि : - दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों, शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(3) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति प्रस्ताव करेंगे कि - साल बीज संग्रहण में अनियमितता के संबंध में जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(4) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि -सभा की अवमानना संबंधी विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(5) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, प्रस्ताव करेंगे कि - डॉ . अनिल खाखरिया, निवासी पुराना बस स्टेण्ड, रायपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

<u>निर्धारित समय</u>

6. संकल्प

1 घंटा श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं को नगद सब्सिडी के भुगतान संबंधी प्रावधान से छत्तीसगढ़ प्रदेश को मुक्त रखा जाए।"

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

3 घंटे श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि- छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक,2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

8. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य,चर्चा उठायेंगे.

9. अशासकीय संकल्प

2 घंटे 30 मिनट श्री देवजी पटेल,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहरी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की खरीदी में प्रतिबंध के उपाय किये जायें."

रायपुर
दिनांक 20 दिसम्बर,2012

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.